15-1-16

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

[न्य]ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

[मुकदमा उनव]ान .... रिछपाल वगै. .... बनाम .... दुर्गा वगै. ....

[नौइयत] मुकदमा प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा .... मुकदमा नं० .... 193 .... सन् 2015

[तारीख] हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
6-12-15	वकील प्रार्थीगण श्री सुभाष चन्द शर्मा ने हाजिर अदालत होकर प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। स्थगन पर बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से एवं बहस वकील प्रार्थीगण पर गौर मनन से प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षकारान को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अत: उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी ख०नं० 49 ता 53, 15, 16, 267 एवं ख० नं० 335 ता 340, 342 ता 347, 354 ता 368 तक ग्राम भोजपुर के मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को उक्त आदेश उल्लेखित करते हुए सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 15-1-16 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी छुट्टी /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक .... को पेश हो। पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी छुट्टी /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक .... को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)
रिछपाल पुत्र दुर्गा वगैरह (T.I.) मु० नं० 193/2015

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
08/11/15 पत्रावली पेश हुई। हस्तगत प्रकरण से संबंधित पूर्व से विचाराधीन प्रा० प्र० टी० आई० "नाथू जैसी पुत्र चौथमल वगैरह" व "चौथमल पुत्र शंकरलाल वगैरह" के साथ पत्रावली दिनांक 22/11/2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/11/17 बुलाए उभय पक्ष उपस्थित। चूंकि हस्तगत प्रकरण से संबंधित अन्य विचाराधीन प्रा० प्र० टी० आई० "चौथमल पुत्र शंकरलाल वगैरह" मु० नं० 04/2015 में हस्तगत प्रकरण को उक्त प्रा० प्र० से समाहित करते हुए निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त प्रा० प्र० में पारित निर्णय हस्तगत प्रा० प्र० टी० आई० पर प्रभावी होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व समाहित उक्त प्रा० प्र० हो। (हस्ताक्षर) 22/11/17 (रणजीत सिंह) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Singh Godara
Date: 2019.12.18 11:25:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: